छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 490021
दूरभाष क्र. –0771–4073568 फैक्सः 4073553
वेबसाइट www.cserc.gov.in, ईमेल : cserc.sec.cg@nic.in

याचिका क्रमांक 86/2026

मेसर्स सरोज वड्डे राईस मिल
द्वारा रूपेश माहेश्वरी
ग्राम – बारगरी जिला– उ.ब. कांकेर (छ.ग.) ...आवेदक

विरूद्ध

1. **अधीक्षण अभियंता**
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड, कांकेर
2. **कार्यपालन अभियंता,**
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड, कांकेर
3. **कनिष्ठ अभियंता**
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड, कांकेर ... उत्तरवादीगण

दिनांक 12.11.2026 को आर्डर–शीट में पारित आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि।

"आवेदक की ओर से श्री मोहन एंटी अनुपस्थित।

अनावेदक की ओर से श्री एच.के. सूर्यवंशी, अधीक्षण अभियंता एवं श्री एस. के. किंडो, कार्यपालन अभियंता, (सं./सं.), श्री के. के. ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता, (चारामा.) छ.ग. स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कांकेर उपस्थित।

2. आयोग द्वारा दिनांक 04.11.2026 को पारित प्रारंभिक आदेश के अनुपालन में अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया था कि विद्युत लोकपाल के आदेश का निर्धारित समयावधि में अनुपालन न किए जाने के कारण उन पर ₹5,000/– (प्रत्येक) का अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाए? अनावेदकगण को दिनांक 11.11.2026 तक जवाब प्रस्तुत करने तथा दिनांक 12.11.2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे।

3. अनावेदकगण ने दिनांक 11.11.2026 को ई–मेल द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर मूल प्रति आज व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश की। अनावेदकगण ने विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में हुए विलंब एवं उक्त आदेश को समझने में हुई व्याख्यात्मक

त्रुटि स्वीकार करते हुए क्षमा–याचना की। साथ ही, शपथ–पत्र प्रस्तुत कर भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया।

4. अनावेदकगण के जवाब, क्षमा–याचना एवं शपथ–पत्र में दिए गए आश्वासन पर विचारोपरांत आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अनावेदकगण से विद्युत लोकपाल के आदेश के अनुपालन में विलंब हुआ है, एवं उसे समझने में व्याख्यात्मक त्रुटि हुई है। परंतु, अनावेदकगण ने अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा–याचना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया है जिसके दृष्टिगत वर्तमान प्रकरण में अनावेदकगण पर प्रस्तावित अर्थदंड अधिरोपित न कर यह चेतावनी दी जा रही है कि अनावेदकगण भविष्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल एवं आयोग द्वारा पारित आदेशों का निर्धारित समयावधि में समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी इस संबंध में आवश्यक सतर्कता निर्देश जारी करें, ताकि ऐसी त्रुटियों एवं अनुपालन में विलंब की पुनरावृत्ति फिर से न हो।

5. इस आदेश की एक प्रति प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन) को भी प्रेषित की जाए, जिससे वितरण कंपनी द्वारा अपने सभी कार्यालयों को विद्युत लोकपाल अथवा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेशों का यथोचित अनुपालन नियत समयावधि में किये जाने हेतु समुचित मार्गदर्शन जारी किए जा सकें।

6. प्रकरण उपरोक्तानुसार निराकृत किया जाता है।**"**

सही/–
सदस्य (तकनीकी)

सही/–
सदस्य (विधि)